उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-29/741/एक-1-2016-20(5)/2016

लखनऊ: दिनाँक: 03 जून, 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1, सन् 1904) की धारा-21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-219 के अधीन शक्ति और अधिसूचना संख्या-258/16(1)/1973/राजस्व-1, दिनांक 07 मई, 1981 का अधिक्रमण करके राज्यपाल सभी जिलों के कलेक्टरों तथा सभी मण्डलों के मण्डलायुक्तों को नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित सीमा तक उक्त अधिनियम संख्या 8 सन् 2012 की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (क) एवं (ग) के अधीन ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों में निहित, धारा 59 की उपधारा (2) के खण्ड (एक), (तीन) तथा (चार) में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं वस्तुओं को वापस लेने की उक्त अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य शक्ति उन दशाओं में जहां वह फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड (5) के भाग 1 के परिशिष्ट 9 में उल्लिखित राज्य सरकार के वाणिज्यिक विभाग के लिए और जहां वह भारत सरकार के किसी विभाग के लिए अपेक्षित हो, प्रतिनिहित करते हैं।

अनुसूची

कलेक्टर	वस्तु या वस्तुयें जिनका मूल्य 40 लाख रूपये से अधिक न हो।
मण्डलायुक्त	वस्तु या वस्तुयें जिनका मूल्य 40 लाख रूपये से अधिक हो।

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्रा

प्रमुख सचिव।

shasnadesh.up.nic.in